शहरी बैंक विभाग

प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण

प्राथमिक सहकारी बैंक जिनका प्रचलित नाम शहरी सहकारी बैंक हैं ,संबंधी राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं। मामले के अनुसार राज्य के सहकारी समितियों के पंजीयक (आरसीएस) या केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक (सीआरसीएस) द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। 1 मार्च 1966 से सहकारी समितियों पर बैंकिंग कानून लागू होने पर शहरी सहकारी बैंकों पर सहकारी समितियों के पंजीयक/केंद्रीय सहकारी पंजीयक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक का दोहरा नियंत्रण प्रारंभ हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियम अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) के प्रावधानों के अधीन शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कार्यकलापों का विनियामन एवं पर्यवेक्षण करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक में शहरी बैंक विभाग नामक एक अलग विभाग हैं जिसको ये कार्य सौंपे गए हैं। शहरी बैंक विभाग आरसीएस एवं सीआरसीएस जैसे अन्य विनियामकों के साथ तालमेल बनाते हुए कार्य करता है। विभाग के कार्यां को स्थूल रूप से (i) विनियामक (ii) पर्यवेक्षी (iii) विकासात्मक आदि भागों में विभाजित कर सकते हैं।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 22 एवं 23 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक को शहरी सहकारी बैंकों बैंकिंग कारोबार करने तथा नए स्थान पर व्यापार (शाखा, विस्तार पटल आदि.) शुरू करने के लिए लाईसेंस ज़ारी करने का अधिकार निहित है। इस उद्देश्य से शहरी सहकारी बैंकों को समय-समय पर बैंक लाईसेंस /शाखा लाईसेंस ज़ारी करने के लिए मानदंडों पर दिशानिर्देश ज़ारी किए जाते हैं। एक विनियामक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण, वैयक्तिक / सामूहिक उधारकर्ताओं के ऋण, संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण ,ऋण और अग्रिम, निवेश, चलनिधि अपेक्षाएं आदि पर विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए हैं । इस क्षेत्र की विविधता को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को उनके शाखा विस्तार, कार्यक्षेत्र एवं जमाओं के स्तर के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित करते हुए (टियर I एवं टियर II) एक विभेदित नियामक व्यवस्था को अपनाया है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(सहकारी समितियों पर यथालागू) के प्रावधानों के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक को आवधिक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। साथ ही, भारतीय रिज़र्व

बैंक ने उसे प्राप्त शक्त्यों के अंतर्गत शहरी सहकरी बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य आवधिक विवरण भी निर्धारित किए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक शहरी सहकारी बैंकों का प्रत्यक्ष निरीक्षण एवं परोक्ष निगरानी करता है। यह शहरी सहकारी बैंकों के कार्य को कारगर बनाने तथा जमाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए जहाँ आवश्यक है भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश व परिचालनात्मक अनुदेश ज़ारी करता है।

विकासात्मक कार्यकलाप के भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक शहरी सहकरी बैंकों के पदाधिकारियों को उनके ज्ञान, क्षमता एवं निपुणता को बढाने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं।

विनियमन एवं पर्यवेक्षण को एकरूप बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्रीय सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन(एमओयू)कि या है।

शहरी सहकारी बैंकों को परिपत्रों के माध्यम से समय समय पर ज़ारी अनुदेश बैंक के वेबसाईट पर उपलबद्ध हैं। साथ ही, अपने कार्य के निर्वहन के लिए बैंक परिचालन मैनुअल, जोब कार्ड, शहरी सहकारी बैंकों का प्रत्यक्ष निरीक्षण मैनुअल, शहरी सहकारी बैंकों के लिए दिशानिर्देशों का मैनुअल आदि तैयार किया है तथा समय समय पर आंतरिक परिपत्र/दिशानिर्देश भी ज़ारी किए हैं।